

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक : 02 / (एम.ए.सी.पी.-17-01/2016) 3525 / राँची, दिनांक : 16/08/18 /

**प्रेस विज्ञप्ति**

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के वैसे सहायक अभियंता, जिन्हें ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय लाभ अनुमान्य है तथा प्रस्ताव नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नहीं प्राप्त होने के कारण लंबित चला आ रहा है, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से दो दिनों के अन्दर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कृपा करें। मुख्य अभियंता से अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्राधीन सेवानिवृत्त/ कार्यरत सहायक अभियंता के ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय लाभ देने का प्रस्ताव नियत तिथि के अन्दर विहित प्रपत्र में भेजी जाय अन्यथा यह समझा जायेगा कि अब कोई भी सहायक अभियंता का ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय लाभ लंबित नहीं है।

**परिशिष्ट-'क'**

क्रमांक	GPF /PRA N NO.	पदाधिकारी का नाम /पदनाम/ आई.डी./ गृह <sup>1</sup> जिला/जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा में नियुक्ति की तिथि एवं नियुक्ति का पद अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए	विभाग में योगदा न की स्थिति	सेवा संपुष्टि की स्थिति	विभागीय / व्यासायि क परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति	सेवा अवधि	आरोप की स्थिति	पद सोचान में यदि	वर्तमा न पे वैण्ड	निलम्बन अवधि/ पद	1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup>	1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> & 3 <sup>rd</sup>	देय ACP /MA CP	अम्यु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट :- संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना आवश्यक है।

**परिशिष्ट-'ख'**

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदस्थापन विवरणी	
		कब से	कब तक
1	2	3	4

नोट :- बायोडाटा संलग्न किया जाना आवश्यक है।

ज्ञापांक :- 3525

राँची, दिनांक :- 16-08-18

प्रतिलिपि:-वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
( विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

14.8.2018  
*B.S. 14.8.2018*

( विश्वनाथ प्रसाद तांती )

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

*P.M. 14.8.2018*